lfpdkLr lfpdkvk dh lwph&2014

vi\y&2014

f'k{kk foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02 / लोक(शिक्षा)08 / 12	अजीज अहमद अंसारी सेवानिवृत शिक्षक मांडर, राँची को अप्रैल 1958 से फरवरी 1986 तक का बकाया भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में शिकायत ।	11.04.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के बकाया का भुगतान सूद समेत कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वार बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(शिक्ष)08 / 13	श्री किरण कुमार मिश्रा सेवानिवृत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सारदम, चतरा का सेवान्त लाभ बकाया रहने के संबंध में परिवाद ।	28.04.2014	उपायुक्त चतरा से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xzkfe.k fodkl foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02 / लोक(ग्रा0वि)02 / 2008	जिला मत्स्य पदाधिकारी हजारीबाग द्वारा सरकारी योजनाओं को धारा पर नहीं उतारने के संबंध में श्री मिथलेश कुमार का परिवाद ।	28.04.2014	सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.)03 / 12	कार्यपालक अभियंता ग्रामिण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राँची द्वारा सड़क निर्माण हेतु निविदा निष्पादन में अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री दिवाकर महतो का शिकायत ।	22.04.2014	सचिव ग्रामिण कार्य विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गए आरोप सही पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(स्वा0)06/13	बकाया वेतन का वर्ष 2007–13 तक का भुगतान लंबित रखने के संबंध में डा0 श्रीमती सविता कुमारी वर्मा, रामगढ़ का परिवाद ।	09.04.2014	डॉ0 मंजू कुमारी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा झारखण्ड सरकार माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर विभाग का पत्र फाईल किया जिसमे परिवादीनी के बकाया का भुगतान यथाशीघ्र करने का आदेश सिविल सर्जन बोकारो को दिया गया था । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	शिकायत सं0 162/14	ICSI(Indian council of Small Industries) द्वारा किये गये कुप्रशासन , अन्याय/अपराध के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री अरूप गुप्ता हुगली, प. बंगाल का शिकायत ।	01.04.2014	ICSI(Indian council of Small Industries) केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करता है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अधीन नहीं आता है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 272/13	जमशेदपुर में पासपोर्ट सत्यापन करने के लिए स्थानीय पुलिस एवं सी.आई.डी. के अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग करने के संबंध में श्री राजेश पत्रा जमशेदपुर का शिकायत ।	07.04.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं0 354/13	जिला शिक्षा स्थापना समिति, हजारीबाग पर शिक्षकों के स्थानान्तरण में मनमानापन के आरोप के संबंध में मो0 अतिकुज्जमा, जिला अध्यक्ष, झा.प्रा. शि.	04.04.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए

		संघ हजारीबाग का शिकायत ।		बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं0 180/14	निजी विद्यालय गुरूनानक मिशन स्कूल सरसापहाड़ी धनबाद के प्रबंधन पर अप्रत्याशित फीस वृद्धि करने के आरोप के संबंध में श्री संजय कुमार साव द्वारा e-mail से प्रेषित शिकायत ।	11.04.2014	शिकायत कर्ता को झारखण्ड शिक्षा प्राधिकरण JET अधिनियम के तहत अन्य अनुतोष का लाभ प्रापत है तथा उनहे इसका लाभ लेना चाहिए । इस प्रकार शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.203/14	धोखाधड़ी करके अनूप लाल साव व अन्य के द्वारा परिवादी के 5,50,000 रू0 ठगे जाने व इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री शंभु प्रसाद महतो बोकारो का शिकायत ।	11.04.2014	शिकायत दो लोगों के बीच का निजी मामला है तथा शिकायत कर्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 208/14	श्री सुनीर झा, लिपिक, सामान्य शाख, उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसांवा द्वारा आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री सुबोध कुमार सिंह, जमशेदपुर का शिकायत ।	22.04.2014	शिकायत अस्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति का है जो माननीय लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई के लिए उचित नहीं पाया गया तथा इसे बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 112/14	झारखण्ड राज्य धर्मिक न्यास परिषद छोटा अखाड़ा ईचाक के ट्रस्टी जमीन को पूर्व महंत द्वारा गलत ढंग से बिक्री करने के संबंध में श्री प्रदीप कुमार धवन ईचाक हजारीबाग का शिकायत ।	15.04.2014	परिवादी द्वारा पूर्व में दायर परिवाद सं. 02/लोक(राजस्व)29/12 इसी वाद से संबंधित था जिसे माननीय लोकायुक्त भू. राजस्व अपर समाहर्ता के प्रतिवेदन जिसमे अवैद्य रूप से कायम जमाबंदी जो अशोक स्वर्णकार के नाम किया गया था को उपायुक्त हजारीबाग द्वारा रद्द कर दिया गया के आलोक में संचिकास्त कर दिया गया था। अतः पुनः उसी वाद नया शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोष्णीय नहीं है।
8.	शिकायत सं. 185/14	डॉ0 सुबोध कुमार हिनू द्वारा निलामी में खरिदे गये खाता नं. 170 प्लाट नं. 1354 खेवट नं. 8 थाना न. 225 जगरनाथ पुर हवाई नगर को खाली करवाने के संबंध में शिकायत ।	22.04.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण तथा परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 66/14	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का निर्माण आनन्द विहार सोसाईटी भाटिया बस्ती आदित्यपुर सरायकेला खरसांवा में रोकने के संबंधस में श्री उमेश प्रसाद सिंह एवं अन्य का शिकायत ।	10.04.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

10.	शिकायत सं. 209/14	श्री जटाशंकर चौधरी, निदेशक समिति कृषि विभाग के विरूद्ध लगे गंभीर आरोपों को कृषि विभाग द्वारा रफा–दफा कर दिये जाने के संबंध में श्री प्रधान सोरेन घाटशीला का शिकायत ।	10.04.2014	इससे पूर्व अन्य परिवादी द्वारा दो परिवाद इससे संबंधित किया गया था जो आरोप सही नहीं पाये जाने के अधार पर बंद कर दिया गया । अतः उसी वाद पर अन्य परिवाद पोषणीय नहीं है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकयत सं. 223/14	नामकोम थाना केस सं. 52/14 द्वारा झूठा मोकदमा में फंसाने के संबंध में श्री मनोज अग्रवाल राँची का शिकायत ।	28.04.2014	चूंकि मामले में केस दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है अतः परिवाद पर अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 211/14	देवीपुर थाना काण्ड सं.21/14 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के संबध में मो0 चम्पा देव्या, देवघर का शिकायत ।	28.04.2014	चूंकि मामले में केस दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है अतः परिवाद पर अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 200/14	जामताड़ा थाना प्रभारी द्वारा एफ.आई. आर. दर्ज नहीं करने के संबंध में श्री रंजीत कुमार, जामताड़ा का शिकायत ।	28.04.2014	इस मामले के संबंध में परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः शिकायत पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
14.	शिकायत सं 105/14	जान बुझ कर वाद को लंबित रखने के संबंध में श्री चुनू महली लोहरदगा का शिकायत ।	15.04.2014	परिवादी का केस सक्षम न्यायालय में लंबित है तथा परिवादी को इस संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 166/14	भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में श्री सत्य नारायण भगत देवघर का शिकायत ।	28.04.2014	शिकायत पत्र के अनुसार संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । इस प्रकार माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 102/14	सड़क निर्माण में भूमि अतिक्रमण के संबंध में श्री नरेश दास मधुपुर, देवघर का शिकायत ।	28.04.2014	उक्त मामले के संबंध में परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं.120/2014	चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में श्री डालो नारायण शर्मा गिरिडीह का शिकायत ।	10.04.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 तहत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।

18.	शिकायत सं. 175/2014	मानदेय स्वीकृति का लाभ देने के सबंध में श्री इदरिस अध्यक्ष झारखण्ड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ का शिकायत ।	10.04.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 477/13	श्रीमती अलोका कुमारी चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में मोमताज खान, धनबाद का शिकायत ।	29.04.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं. 200/13	वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों के मिलीभगत से वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में मेसर्स झारखण्ड इस्पात प्रा0 लि0 के कर निर्धारण में राजस्व की हानि के संबंध में श्री उदय शंकर ओझा से प्राप्त शिकायत ।	29.04.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।